IFCI LIMITED

आई एफ सी आई लिमिटेड

(A Government of India Undertaking)

(भारत सरकार का उपक्रम)

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

पंजीकृत कार्यालयः आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस
नई दिल्ली–110019
सीआईएनः L74899DL1993GOI053677
फोनः 011-41732000 फैक्सः 011-26230201
ईमेलः complianceofficer@ifciltd.com
वेबसाइटः www.ifciltd.com

शेयरधारकों को सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की असाधारण महासभा **बुधवार, दिनांक 7 मार्च, 2018 को प्रातः 10:30 बजे** सभागार, पहली मंजिल, आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली–110019 में होगी, जिसमें असाधारण महासभा की विशेष कारोबार पर संव्यवहार किया जाएगा।

असाधारण महासभा के आयोजन की सूचना उन सदस्यों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भेज दी गई है जिनके ई–मेल आईडी उनके डिपाजिटरी भागीदार (भागीदारों)/ कम्पनी/ रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत हैं। सूचना की भौतिक प्रति उन सदस्यों को भेज दी गई है, जिन्होंने अपनी ई–मेल आईडी कम्पनी/ रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट/ डिपाजिटरी भागीदार (भागीदारों) के पास पंजीकृत नहीं कराई है। असाधारण महासभा के आयोजन की सूचना भेज दी गई है और यह कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् **www.ifciltd.com** पर उपलब्ध है।

असाधारण महासभा के आयोजन की सूचना सेन्ट्रल डिपाजिटरी सविर्सिज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट अर्थात् **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध है। सीडीएसएल को ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। असाधारण महासभा में संव्यवहार की जाने वाली कारोबार की मद से सम्बन्धित प्रलेख कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में असाधारण महासभा की तारीख तक सभी कार्य–दिवसों को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे के बीच, शनिवार, रविवार और अवकाश के दिनों को छोड़कर, निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथासंशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और सेबी [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ, विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, कम्पनी अपने सदस्यों को असाधारण महासभा के नोटिस में दिए गए संकल्प के लिए बैठक के स्थान से भिन्न किसी स्थान से (रिमोट ई–वोटिंग) इलेक्ट्रोनिक वोटिंग सिस्टम द्वारा अपना वोट देने की सुविधा प्रदान कर रही है। कृपया ई–वोटिंग के अनुदेशों के लिए असाधारण महासभा की सूचना को देखें। रिमोट ई–वोटिंग की अवधि रविवार, 4 मार्च, 2018 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) से आरम्भ होगी और मंगलवार, 6 मार्च, 2018 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। तत्पश्चात् सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग मॉडयूल बंद कर दिया जाएगा। कृपया नोट करें कि यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी के शेयर खरीदता है और कम्पनी का सदस्य बनता है तो वह सूचना में यथानिर्दिष्ट कार्य–विधि का अनुपालन करते हुए रिमोट ई–वोटिंग के लिए लॉग–इन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

ई–वोटिंग के उद्देश्य से कट–ऑफ तारीख बुधवार, 28 फरवरी, 2018 निर्धारित की गई है। जिन सदस्यों के पास कट–ऑफ तारीख के अनुसार भौतिक रूप से या डीमैट रूप से शेयर हैं, वे अपने वोट रिमोट ई–वोटिंग या बैठक में मतदान करने के पात्र होंगे।

असाधारण महासभा में मत–पत्र द्वारा वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है, वे बैठक में मत–पत्र द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिन सदस्यों ने अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग द्वारा दिया है, वे बैठक में भाग तो ले सकेंगे लेकिन अपना वोट पुनः डालने के पात्र नहीं होंगे।

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथासंशोधित) के नियम 20 के उपबन्धों के अनुसार श्री संजय ग्रोवर, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है जो रिमोट ई–वोटिंग के समय तथा असाधारण महासभा में मतदान के समय संवीक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

इलेक्ट्रोनिक वोटिंग के सम्बन्ध में किसी पूछताछ/ शिकायत (तों) के मामले में सदस्य श्री राकेश दल्वी, उप प्रबन्धक, सेन्ट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इण्डिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथान फ्यूचरैक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई–400 013 से **टोल फ्री नं. 1800 200 5533** से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ई–मेल भेज सकते हैं।

ह./–
(रूपा सरकार)
कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10 फरवरी, 2018

Size: 8x15 cms